उद्यमों की न्यूनतम आय सीमा पर विचार करने के लिए वित्त राज्यमंत्री की अगुआई में मंत्रियों का एक समूह पहले से विचार कर रहा था। पिछले महीने जब सरकार ने छोटे उद्यमियों के लिए एक करोड़ रुपए तक का कर्ज बिना शर्त देने का एलान किया था, तभी जाहिर हो गया था कि वह इस वर्ग की परेशानियां दूर करने को लेकर गंभीर है। दरअसल, छोटे और मझोले उद्योग लंबे समय से आर्थिक और बाजार संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

संपादकीय

E-mail: jantaserishta@gmail.com

जीएसटी का रुख

वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक लगातार इसकी दरों की समीक्षा होती आ रही है। इसी क्रम में सरकार ने उद्यमों की न्यूनतम आय सीमा बढ़ा कर दोगुना करने का फैसला किया है। अभी तक उद्योगों की न्यूनतम आय सीमा बीस लाख रुपए थी, पर नए संशोधन में यह सीमा चालीस लाख रुपए कर दी गई है। यह निस्संदेह उद्यमियों के लिए बड़ी राहत होगी। इसी तरह प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने जीएसटी परिषद को मध्यवर्ग के लिए बनने वाले भवनों पर लगने वाले कर की दर वर्तमान बारह प्रतिशत से घटा कर पांच प्रतिशत करने का सुझाव दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इस पर भी जल्दी ही कोई फैसला आएगा। उद्यमों की न्यूनतम आय सीमा पर विचार करने के लिए वित्त राज्यमंत्री की अगुआई में मंत्रियों का एक समूह पहले से विचार कर रहा था। पिछले महीने जब सरकार ने छोटे उद्यमियों के लिए एक करोड़ रुपए तक का कर्ज बिना शर्त देने का एलान किया था, तभी जाहिर हो गया था कि वह इस वर्ग की परेशानियां दूर करने को लेकर गंभीर है। दरअसल, छोटे और मझोले उद्योग लंबे समय से आर्थिक और बाजार संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इनकी तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जबकि हकीकत यह है कि इन्ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सबसे अधिक हैं। इस तरह छोटे उद्योगों को राहत मिलने से उनकी दशा सुधरने की उम्मीद बनती है। जीएसटी लगने के बाद सबसे अधिक असंतोष छोटे और मझोले उद्यमियों में दिखाई दे रहा था। उनकी शिकायत थी कि जीएसटी के चलते उनका कारोबार लगभग ठप्प हो गया है। ऐसे में उन्हें बिना शर्त कर्ज मिलने और उनकी न्यूनतम आय चालीस लाख रुपए करने से काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा जीएसटी लागू होने के बाद से कई वस्तुओं की कर दरों में कमी की गई है। छोटे और मझोले उद्योगों से जुड़ी ज्यादातर वस्तुएं भी अब तार्किक कर दरों पर पहुंच गई हैं। जीएसटी लगाने के शुरुआती प्रस्ताव में घोषणा की गई थी कि कर की दर अठारह फीसद से ऊपर नहीं रखी जाएगी। पर जीएसटी लगाने की जल्दबाजी में कई वस्तुओं पर जीएसटी की दर काफी ऊंची रख दी गई थी। बाद में समीक्षा के बाद उन्हें नीचे लाया गया। अब सामान्य उपभोक्ता से जुड़ी ज्यादातर वस्तुओं पर जीएसटी की दर अठारह फीसद के नीचे आ गई है। इसके अलावा कर भुगतान संबंधी प्रावधान भी धीरे-धीरे काफी लचीले हुए हैं। इससे उद्यमियों की अनेक कठिनाइयां समाप्त हुई हैं। यह उद्यमियों के लिए राहत का नया कदम ही कहा जाएगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बेनामी मकानों पर कड़ी नजर रखने और भवन निर्माण संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी की दर अधिक होने की वजह से निर्माण उद्योग की रफ्तार काफी धीमी हो गई थी।

कोख के धंधे पर लगाम

लेख -सुधीर कुमार

भारत में सरोगेसी का प्रचलन 2002 से है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पहली बार 2008 में कानूनी मान्यता दी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि केवल डेढ़ दशक में भारत अंतरराष्ट्रीय जगत में सरोगेसी का बड़ा केंद्र बन गया। सरकार के मुताबिक देश में सरोगेसी का सलाना कारोबार लगभग दो अरब डॉलर का है। देश में गुजरात और महाराष्ट्र सरोगेसी के मामले में शीर्ष दो राज्य हैं। भारत में सरोगेसी तकनीक का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत में होने वाली सरोगेसी का लगभग आधा हिस्सा विदेशी दंपतियों का होता है। भारत में सरोगेसी तकनीक दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पांच से दस गुना तक सस्ती है और यहां अच्छे डॉक्टरों से लैस विश्वस्तर के आइवीएफ केंद्र भी हैं।

लोकसभा ने सरोगेसी नियमन विधेयक-2016 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में देश में सरोगेसी के नियमों को तय करने, व्यावसायिक सरोगेसी पर पूरी तरह पाबंदी लगाने और सरोगेट माताओं के शोषण को रोकने के साथ-साथ उनके हितों की रक्षा करने संबंधी अनेक प्रावधान किए गए हैं। फिलहाल जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों में व्यावसायिक सरोगेसी पूरी तरह प्रतिबंधित है। कृत्रिम रूप से संतान-जनन की सरोगेसी तकनीक आधुनिक विज्ञान की विशिष्ट खोज है। यह तकनीक उन दंपतियों के लिए आशा की अंतिम किरण साबित हुई है, जिन्हें किसी कारणवश जीवन में संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है।

सरोगेसी का सामान्य अर्थ 'किराए की कोख' से है। यह सरोगेट बच्चे की इच्छा रखने वाले दंपति और एक महिला (सरोगेट मदर) के बीच एक तरह का समझौता है जिसमें महिला अपनी कोख किराए पर देने के लिए राजी होती है। इस प्रक्रिया में सरोगेसी क्लिनिक मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। सरोगेसी विधि आइवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) तकनीक पर आधारित होती है। इसके तहत सरोगेसी अपनाने वाले पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु का कृत्रिम तरीके से निषेचन कराया जाता है और फिर निषेचित अंडे को 'सरोगेट मदर' के गर्भाशय में रख दिया जाता है। इस तरह शिशु का जन्म वास्तविक माता से इतर एक अन्य महिला की कोख से होता है।

भारत में सरोगेसी का प्रचलन 2002 से है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पहली बार 2008 में कानूनी मान्यता दी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि केवल डेढ़ दशक में भारत अंतरराष्ट्रीय जगत में सरोगेसी का बड़ा केंद्र बन गया। सरकार के मुताबिक देश में सरोगेसी का सलाना कारोबार लगभग दो अरब डॉलर का है। देश में गुजरात और महाराष्ट्र सरोगेसी के मामले में शीर्ष दो राज्य हैं। भारत में सरोगेसी तकनीक का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत में होने वाली सरोगेसी का लगभग आधा हिस्सा विदेशी दंपतियों का होता है। भारत में सरोगेसी तकनीक दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पांच से दस गुना तक सस्ती है और यहां अच्छे डॉक्टरों से लैस विश्वस्तर के आइवीएफ केंद्र भी हैं। वहीं, देश में गर्भ धारण करने के लिए कमजोर वर्ग की असहाय महिलाएं भी आसानी से उपलब्ध हैं और यहां इस संबंध में कठोर कानून के न होने की वजह से सरोगेसी के प्रति विदेशियों में गजब का आकर्षण बना हुआ है। विदेशी भारत में सरोगेसी को चिकित्सा पर्यटन के तौर पर देखते रहे हैं। लेकिन अन्य देशों की तरह अब यहां भी विदेशियों के लिए सरोगेसी अपनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनने की तैयारी है। इससे भारत को सरोगेसी का हब बनने से रोका जा सकेगा और सरोगेट माताओं के शोषण पर भी रोक लग सकेगी।

सरोगेसी नियमन विधेयक-2016 के कानून बन जाने के बाद देश में किसी महिला को व्यावसायिक उद्देश्य से सरोगेट मदर बनने का कानूनी अधिकार नहीं होगा। हां, महिलाएं किसी जरूरतमंद विवाहित निसंतान दंपति के लिए परोपकार के तहत कोख किराए पर दे सकती हैं। नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक सरोगेसी धारण करने वाली महिलाएं जीवन में एक ही बार ऐसे गर्भ धारण कर सकती हैं। अत्यधिक लाभ की आशा में यह गर्भ धारण पहले चार से पांच बार तक किया जाता था, जिससे महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती थीं। लेकिन अब एक महिला अपने जीवनकाल में सिर्फ एक बार ऐसे गर्भ को धारण कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, सरोगेट महिला बनने के लिए उसका विवाहित होना और एक स्वस्थ्य बच्चे की मां होना भी जरूरी होगा। वहीं, सरोगेसी का लाभ उठाने वाले दंपति की शादी को पांच वर्ष होना जरूरी है।

अर्थात सरोगेसी अपनाने वाले दंपति में से महिला की उम्र तेईस से पचास साल के बीच होनी चाहिए, जबकि पुरुषों के लिए यह आयु छब्बीस से पचपन वर्ष रखी गई है। सरोगेसी का लाभ वही दंपति उठा सकते हैं, जिन्हें पहले से कोई संतान नहीं हो और एक दंपति को केवल एक सरोगेट बच्चे को रखने का अधिकार होगा। ऐसे दंपति के पास जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र होना जरूरी है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि दंपति में से कोई एक बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। सरोगेसी से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए दस वर्ष की सजा और दस लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह सजा अपंग बच्चों को जन्म के बाद उसे अपनाने से इंकार करने वालों और अंडाणु या शुक्राणु के गैर-कानूनी रूप से वितरण या विक्रय करने वालों के लिए भी निर्धारित की गई है।

इसके साथ ही, वे दंपति जो केवल शौक के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उन पर भी रोक लगाई जानी है। अब केवल निसंतान दंपति इस तकनीक का लाभ प्राप्तकर सकेंगे। एकल अभिभावक, लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक जोड़े भी इस सुविधा से वंचित रहेंगे। प्रस्तावित कानून की एक खास बात यह भी है कि भारत में सरोगेसी लाभ से विदेशियों को पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा। कानून बनने के तीन महीने के भीतर सरोगेसी नियमन के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड क्लीनिक का निरीक्षण भी करेगा। इस तरह क्लीनिक की मनमानी और सरोगेट माताओं के शोषण पर भी रोक लगाई जा सकेगी। सरोगेसी तकनीक का एक स्याह पक्ष यह भी रहा है कि इससे कोख बेचने वाली महिलाओं को शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विडंबना है कि अपनी कोख बेच कर दूसरों को संतान सुख देने वाली महिलाओं को इसके एवज में उचित पैसा भी नहीं दिया जाता। चूंकि, ऐसी अधिकांश महिलाएं निम्न आय-वर्ग से ही संबंधित होती हैं, इसलिए भी वे आर्थिक व शारीरिक शोषण की शिकार होती हैं। उदाहरण के तौर पर क्लिनिक से संबद्ध डॉक्टर और बिचौलिए सरोगेसी विधि अपनाने वाले दंपतियों से अच्छी-खासी रकम तो वसूल लेते हैं, लेकिन तमाम कष्ट सह कर बच्चे को जन्म देने वाली औरतों को कम कीमत पर ही राजी कर लेते हैं।

जन-मंच

प्रधानमंत्री का दांव

देश में एक लंबे अरसे से यह मांग उठती रही है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, न कि जातिगत। गरीब की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जातिवाद की राजनीति करके अपना अस्तित्व बनाए रखने वाले भला यह कैसे सहन कर सकते हैं? मोदी सरकार ने चुनावों में तात्कालिक लाभ के लिए ही सही, 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर जहां सामान्य श्रेणी के लोगों को राहत दी है, वहीं अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश भी की है। विपक्षी पार्टियों को यह कतई उम्मीद नहीं रही होगी कि उनका किया वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। मजबूरी में सभी दलों को इसका समर्थन करना पड़ा, क्योंकि कोई अपने वोटर को नाराज नहीं करना चाहता। इसका परिणाम चाहे जो हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में सबको चित तो कर ही दिया है।.

-**चंद्र प्रकाश शर्मा,** भिलाई

अमीर भी गरीब

गरीब सवर्णों को भी दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास% के चश्मे से देख रहे हैं। जब से केंद्र में मोदी राज आया है, तभी से ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं, जिनकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नोटबंदी, जीएसटी और अब गरीब सवर्णों को आरक्षण। सवर्णों को आरक्षण मिल जाने के बाद शायद देश में आरक्षण को लेकर होने वाले आंदोलनों को लाल झंडी मिल जाए। हर कोई बेशक इस आरक्षण को अलग-अलग नजरों से देख रहा है, लेकिन यह फैसला गरीब सवर्णों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। हालांकि यह भी तभी होगा, जब भ्रष्टाचार से यह दूर रहे। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की इस पर सहमति इशारा है कि कोई इसका विरोध करके अपना वोट बैंक नहीं गंवाना चाहता। जिस देश में लाखों कमाने वाले भी टैक्स न भरने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं और खुद को सरकार और आयकर विभाग की नजर में गरीब दिखाते हैं, वहां इस आरक्षण का फायदा वास्तविक गरीबों तक ही पहुंचेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता।.

-**राजेश कुमार चौहान,** अंबिकापुर

दिखावे से बचें

इन दिनों वाराणसी शहर को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए दिन-रात मेहनत की जा रही है। आखिरकार कुछ ही दिनों में प्रवासी और तमाम नामचीन लोग जो यहां आने वाले हैं। काश! दिखावे की जगह वास्तव में वाराणसी शहर हमेशा खूबसूरत दिखता और यहां काम करने व करवाने वाले हमेशा तत्पर रहते।'किसी से प्रशंसा मिले और सुखद शब्दों की बौछार हो, इसलिए सभी वाराणसी को नंबर वन बनाने में लगे हैं। मगर जरूरी असलियत को देखने की है। आडंबर से ज्यादा वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। दिखावे से अच्छा किसी काम को स्थाई रूप से करना माना जाता है।.

-**माधुरी,** रायपुर

बेकाबू होती जनसंख्या

आज भारत ही नहीं, विश्व में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जल्द ही जनसंख्या विस्फोट होगा और संसाधनों की भारी कमी पैदा होगी। आज बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी, भुखमरी, आवास की कमी इत्यादि बुनियादी समस्याएं भी दूर नहीं हो पा रहीं। बढ़ती जरूरतों को देखकर नए-नए आविष्कार तो हुए, लेकिन साथ ही प्रदूषण नामक समस्या भी पैदा हो गई, जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है। आलम यह है कि आज अधिकतर नदियां प्रदूषण की शिकार हैं, और सबसे अधिक वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए आज हम अत्यधिक संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को खत्म करते जा रहे हैं।

-**दीपक वार्ष्णेय,** राजनांदगांव

खेती से होता मोहभंग

एक समय था, जब भारत में कृषि कार्य मानसून का जुआ माना जाता था। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाएं तो बनीं, हरित क्रांति की बातें भी की गईं, लेकिन तत्कालीन सरकारों के पास इच्छाशक्ति की कमी होने से किसानों की बुनियादी समस्याओं को ठीक से समझा नहीं गया। नतीजतन, किसान कर्ज में जन्म लेता रहा, कर्ज में ही जीता रहा और इसी कर्ज के चलते असमय जीवन गंवाता रहा। कुछ संपन्न और बड़ी जोत के किसानों को छोड़ दें, तो आज भी हालात ज्यों के त्यों हैं। उपज का उचित दाम न मिलने, प्राकृतिक आपदा और बिचौलियों के शोषण से धरतीपुत्र बमुश्किल अपना जीवन गुजार पा रहे हैं। यही कारण है कि कृषि के प्रति किसानों का उत्साह कम होता जा रहा है। खेत बेचकर वे अन्य काम-धंधों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। खेती-बाड़ी की तरफ किसानों को फिर से आकर्षित करने के लिए एक समग्र कृषि नीति की जरूरत है।

-**ललित महालकरी,** अंबिकापुर

चिंतन कण

परिश्रम

परिश्रम के बगैर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। परिश्रम किए बिना मनुष्य को भोजन भी नहीं करना चाहिए वरना वह बीमार पड़ जाएगा। एक कहानी के अनुसार एक राजा वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसे लगता था कि वह बीमार है। ऐसे में जो भी डॉक्टर उससे यह कहता कि वह स्वस्थ है, वह उसी को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे देता। अंत में एक डॉक्टर ने राजा से कहा कि आप तो गंभीर रूप से बीमार हैं। यह सुनकर वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, यह बताओ कि मुझे क्या बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि आपको एक रहस्यमयी बीमारी है और इसका इलाज यही है कि आप एक दिन के लिए किसी सुखी और प्रसन्न व्यक्ति की कमीज पहनें। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी राजा के सैनिकों को कोई प्रसन्न व्यक्ति नहीं मिला। राजा को जब यह बात मालूम हुई कि उसके राज्य में लगभग सभी दुखी हैं तो वह काफी विचलित हुआ। खैर एक दिन सैनिकों ने देखा कि एक व्यक्ति अपनी ही धुन में खोया हुआ गाना गाते हुए अपने खेत में काम कर रहा है। सैनिकों ने उससे पूछा कि क्या वह अपने जीवन से प्रसन्न है? उस व्यक्ति ने जब इसका उत्तर हां कहकर दिया तो सैनिकों को बहुत खुशी हुई और वे बोले कि क्या वह एक दिन के लिए अपनी कमीज राजा को दे सकता है। इस पर वह व्यक्ति बोला, मैं राजा को अपनी कमीज दे देता, लेकिन मेरे पास तो इसके अलावा दूसरी कमीज ही नहीं है। अगले दिन जब राजा उससे मिलने के लिए अपने महल से बाहर निकला तो चिड़ियों की चहचहाहट, स्वच्छ वातावरण व नए-नए चेहरों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और वह अपने आपको स्वस्थ महसूस करने लगा। कहने का सार यही है कि प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो परिश्रम में विश्वास रखता है। गीता में भी श्रीकृष्ण परिश्रम का महत्व बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि परिश्रम ही मनुष्य की वास्तविक पूजा-अर्जना है। इसके बिना मनुष्य का सुखी-समृद्ध होना अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता और वह कर्महीन और आलसी है। वह हमेशा दुखी व बीमार और दूसरों पर निर्भर रहता है। परिश्रम करने वाले व्यक्ति अपने कर्म से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं।

-**आचार्य विनोद कुमार ओझा**

खिचड़ी अकबर को भी पसंद थी, मोदीजी को भी है

हमारे यहां खिचड़ी के अनेक नाम, रूप व स्वाद प्रचलन में हैं। संस्कृत में खिच्चा बंगाली खिचुरी तमिल पोंगल ब्रिटिश पैलेस में केजरी कही जाने वाली खिचड़ी पहले से ही सेहत को बेहतर बना रही है। सभी तरह के डॉक्टर रोगी की स्थिति के अनुसार इसके सेवन की सलाह देते हैं। राजनैतिक, सामाजिक जीवन का तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चारित्रिक हिस्सा है खिचड़ी। किसी योजना, ज़िम्मेदारी, काम, बात की खिचड़ी बना देना हमारे बाएं हाथ का राष्ट्रीय खेल है। पिछले कई दशक से हम मिलकर यही कर रहे हैं।

> सभी तरह के डॉक्टर रोगी की स्थिति के अनुसार इसके सेवन की सलाह देते हैं। राजनैतिक, सामाजिक जीवन का तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चारित्रिक हिस्सा है खिचड़ी। किसी योजना, ज़िम्मेदारी, काम, बात की खिचड़ी बना देना हमारे बाएं हाथ का राष्ट्रीय खेल है। पिछले कई दशक से हम मिलकर यही कर रहे हैं।

राजनीति, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, देश भक्ति, पर्यावरण, आतंकवाद, भ्रष्टाचार की हमने ऐसी खिचड़ी बनाई है कि देश का पूरा स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है। विशेषकर पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए दो सौ कानूनों की प्रदूषित स्वार्थी खिचड़ी पका दी है। भारतवर्ष, भारत, हिन्दुस्तान, इंडिया और अब न्यू इंडिया के लोकतंत्र में हमारे देश प्रेमी नेता, योजना प्रेमी सरकारी अफसर व सहयोगी कर्मठ व्यवसायियों की तिकड़ी की खिचड़ी लाजवाब है।

भला हो इन प्रसिद्ध, शानदार, देश भक्त लोगों का जिनके राष्ट्रीय प्रयासों से विश्व खाद्य दिवस पर पुरानी खिचड़ी का नया मौसम आ गया है। अब खिचड़ी, खिचड़ी नहीं रहेगी। खिचड़ी का रुतबा बढ़ कर राष्ट्रीय खाद्य का हो गया है। इस बहाने राष्ट्रीय पहचानों की ख़ास जमात में इजाफा हो गया। वैसे पुरानी राष्ट्रीय पहचानों का क्या हाल है इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कोई बुरा न मान जाए। वक़्त बहुत खराब चल रहा है, अपने शरीर से प्रेम करना लाज़मी है। भिन्नता की प्रतीक, कहीं इस खिचड़ी की संरचना राजनीतिक तो नहीं ? खिचड़ी के पुनर्जन्म के अवसर पर विश्व रिकार्ड बनने समेत नेक और अनेक काम निबटा लिए गए। विश्व खाद्य दिवस पर ऐतिहासिक इंडिया गेट के प्रांगण, गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड्स की प्रतिनिधि की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शैफ संजीव कपूर के नेतृत्व में पकाई गई, जिसे बाबा रामदेव ने छौंक लगाया, केंद्रीय मंत्री ने भी हिलाया और विश्व से पधारे पांच दर्जन से अधिक कम्पनी प्रमुखों की प्लेट में सजाया। अब लगने लगा है कि देश की खाद्य समस्या हल हो गई है। जो पत्नियां परेशान रहती थीं क्या पकाऊं क्या खिलाऊं करती रहती थी उन्हें खिचड़ी बताएगी कि हमारे पारम्परिक खाद्य कितने स्वास्थ्य वर्धक हैं। रुकिए, आपका स्वाद बदलते हैं। अब जो खिचड़ी पकाई गई है इससे देश के बाज़ार में प्रतियोगिता बढ़ने वाली है। खिचड़ी मैगी से कुश्ती करेगी। डिज़ायनर खिचड़ी मार्किट में उतारी जाएगी जिसके कई वर्ज़न होंगे जैसे सिल्वर, गोल्डन व डायमंड जिसके वेरियंट होंगे तरल, थोड़ी सख्त, ज्यादा सख्त जिसे आप स्थान, मूड व बीमारी के अनुसार खा सकेंगे।

कटाक्ष

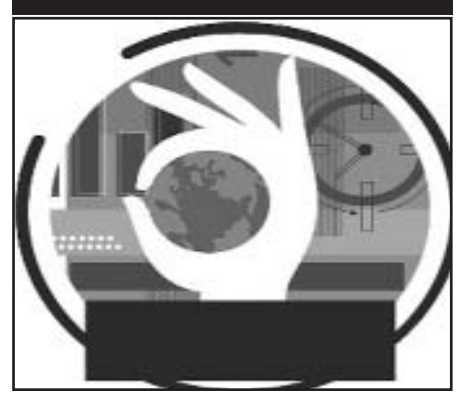

- संतोष उत्सुक

इनकी जुबां

कांग्रेस में बीजेपी से अकेले लड़ने की ताकत नहीं।

-एके एंटनी
कांग्रेसी नेता

वह ब्रिलियंट हैं। यह अब तक का सबसे कठिन रिऐलिटी शो है जिसमें मैं हिस्सा ले रही हूं। मुझे विश्वास है कि इसके बाद मैं और ज्यादा मजबूत बनूंगी।

- शमिता शेट्टी
अभिनेत्री

वैचारिक युद्ध है 2019 का चुनाव।

- अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष